


17.01.2025-पत्रवाली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थन पत्र कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रार्थी अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये जाने के उपरान्त अनुपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असातन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थन पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

